

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26
न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

कृष्णलाल बनाम पतराम व अन्य

वादपत्र संख्या 102/2014

अन्तर्गत धारा 88, 53,188 एवं 92ए राजधान कारशतकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
26.12.2014	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पृथ्वीराज शर्मा द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किया गया, वाचक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत. पंजीबद्ध हो. प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12 जनवरी, 2015 को प्रस्तुत हो.</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर</p>	<p>27.01.2015</p>
28.1.XV	<p>अधिवक्ता वादी उप. प्रतिवादी स० 6 से 9 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेमचन्द सेवदा द्वारा कम्पलतनामा प्रस्तुत शामिल हो. प्रतिवादी स० 2 से 5 की तलबों हेतु वादी सम्मन वाक तारीख प्राप्त. प्रतिवादी स० 2 से 5 अनुपस्थित. अतः प्रतिवादी स० 2 से 5 के विरुद्ध एक पत्रावली कार्यवाही की जाती है. प्रतिवादी स० 1 एवं 10 की तलबों हेतु वादी सम्मन वाक/अप्य तारीख प्राप्त. अतः तलबाना सम्मन प्रस्तुत करने की दिवापत्र की गयी. प्रस्तुत होने पर वादी हो. पत्रावली करती तलबों-लाकब वाह पत्र कि 28.1.XV को पेश हो.</p>	
28.01.XV	<p>श्री. प्रमोदनाथ कर्माकर द्वारा आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11.02.XV को पेश हो।</p>	
11.02.XV	<p>आज पीठासीन अधिकारी श्री. प्रमोदनाथ कर्माकर पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 03.03.XV को पेश हो।</p>	
03.03.XV	<p>आज पीठासीन अधिकारी श्री. प्रमोदनाथ कर्माकर पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23.03.XV को पेश हो।</p>	



25.10.24

अधिष्ठातागण उपर। वाणी द्वारा स्वयं
 उपस्थित आकर दिनांक 24.09.24 को आदेशिका
 पर अंकित कथनों को दोहराते हुए प्रकरण में
 आगे कोई कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया
 एवं प्रतिवादी स. 06 ता 09 द्वारा स्वयं उपर होकर
 अपने द्वारा प्रस्तुत कलक्टर म्लेम दिनांक 13.04.15
 को Not Prox करते हुए आदेशिका पर उक्तानुसार
 टिप्पणी अंकित की एवं अपने-2 पहचान पत्र की
 लोटे प्रति प्रस्तुत करते हुए अपने हस्ताक्षर अंकित
 किये। वाणी की पहचान वाणी अधिष्ठाता एवं उद्विगी
 स. 6 ता 9 की पहचान प्रतिवादी स. 6 ता 9 के
 अधिष्ठाता की प्रेमचन्द सेवक प्रसन्न की गई। प्रमाण
 प्रकरण में वाणी एवं कलक्टर म्लेमकता आगे कोई
 कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्र. सं. 102/2014
 अनुदान कृष्णलाल बनान खतराम व अन्न
 क्रमान स्तर पर खारिज किया जाता है। फासली
 में अन्न कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। फासली
 नस्तीकृत हो। फासली द्वारा पंजिका के रूप से
 काम की जाकर निर्णय की सूची में शामिल है।

24/10/24
 24.10.24
 (प्रमाणित)

कृष्णलाल
 वाणी
 प्रतिवादी (नस्ती)
 उद्विगी
 प्रमाणित
 दिनांक 13/10/2024
 नस्तीकृत हो
 फासली के
 कोई अनुदान नहीं
 चाहते।
 प्रमाणित

सहायक कलक्टर एवं
 कार्यापालक दण्डनायक
 (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगा नगर

कुमाला देवी
 R.T.T. रीतिका
 पट्टनमाली (P.C. Secy)
 25/10/24